भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3251
दिनांक 20.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

छत्तीसगढ़ में जेजेएम के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का शत-प्रतिशत कवरेज

3251. श्री भोजराज नागः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) छत्तीसगढ़ के कांकेर, बालोद, कोडागाँव और धमतरी जिलों में ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है जहां शत-प्रतिशत घरों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जलापूर्ति हो रही है;
(ख) उन ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है जहां शत-प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और सौंप दिया गया है;
(ग) उन ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है जहां कार्य अभी भी अधूरा है और इसके क्या कारण हैं;
(घ) समय पर कार्य पूरा न करने पर जिन ठेकेदारों और अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उनका ब्यौरा क्या है;
(ङ) जेजेएम के आंरभ से अब तक इसके कार्य के संबंध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और
(च) क्या सरकार ने जल जीवन मिशन के आंरभ से लेकर अब तक सभी ठेकेदारों से नियमानुसार माल और सेवा कर (जीएसटी) और खनिज रॉयल्टी मंजूरी ली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): राज्य द्वारा जेजेएम आईएमआईएस पर सूचित किए गए अनुसार, 64, 87, 30 और 329 ग्राम पंचायतों (जीपी) में हर घर जल होने की सूचना है अर्थात छत्तीसगढ़ के कांकेर, बालोद, कोंडागांव और धमतरी जिलों में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत शत-प्रतिशत बसावटों को जल आपूर्ति हो रही है।

(ख): जेजेएम आईएमआईएस पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश भर में 1,20,097 ग्राम पंचायतों (छत्तीसगढ़ में 2,001 ग्राम पंचायतों सहित) को हर घर जल के रूप में सूचित किया गया है। इसके अलावा, 1,14,366 योजनाएं (छत्तीसगढ़ में 4,515 योजनाओं सहित) समुदाय को सौंप दी गई हैं।

(ग): जेजेएम आईएमआईएस पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश भर में 1,40,580 ग्राम पंचायतों (छत्तीसगढ़ में 9,645 ग्राम पंचायतों सहित) में नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराने का कार्य अभी भी शेष है। राज्यों ने सूचित किया है कि जल की कमी, सूखा प्रवण और मरूभूमि क्षेत्रों में भरोसेमंद पेयजल स्रोतों की कमी, भूजल में भू-जनित संदूषकों की मौजूदगी, विषम भौगोलिक भू-भाग, अलग-थलग बसी हुई ग्रामीण बसावटें, कुछ राज्यों में समतुल्य राज्य अंश जारी करने में विलंब, कार्यान्वयन एजेंसियों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों के पास जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के लिए तकनीकी क्षमता की कमी, कच्चे माल की बढ़ती कीमत, सांविधिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में विलंब आदि मिशन के कार्यान्वयन में आने वाली कुछेक समस्याएं हैं।

(घ) से (च): जल राज्य का विषय है और इसलिए ग्रामीण परिवारों को नल जल उपलब्ध कराने के लिए पाइपगत जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की है। भारत सरकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। जब कभी इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, उसे उपयुक्त सुधारात्मक उपायों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, मिशन के कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के माध्यम से राज्यों को संविदा दस्तावेजों में अपेक्षित दंड खंड शामिल करने की भी सलाह दी गई है ताकि मिशन के कार्यान्वयन में विलंब से बचने के लिए एजेंसियों को हतोत्साहित किया जा सके।

*****